

10/2/25 पञ्जावली पैसा ड्रॉई प्रार्थी पुर्वेकर सरकार उपाय
 प्रार्थी का मूल प्र-पत्र क्रमांक 177 R.T. Act.
 का वास्तु पूर्ण सेपरेबल होने से खारिज किया
 जा चुका है और प्र-पत्र क्रमांक 242 R.T.
 Act में कर्तव्यी कावेसिरी करी देने से उक्त प्र-पत्र
 खारिज किया जा चुका है पूर्व में जारी कोर्ट डिटॉप
 20/10/24 निस्त किया जाना है प्रार्थी का उक्त प्र-पत्र
 खारिज किया जाना है पञ्जावली कैमल शुमा लीकर
 पूर्व नम्बर से कर है, बाद तकतील दामिल इफर
 है

~~सहायक कमिश्नर~~
 (सुखाराम सिन्डल)
 R.A.S.